1-

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर

III/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2653 (73) रा0निगरानी क्र0 /2017

1. उमा शंकर तनय राम सुफल उम्र वर्ष पेशा खेती नि0 ग्राम उपरवार तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0
निगरानी कर्ता

बनाम

1. श्याम विहारी तनय श्री राम लखन ब्रा0 उम्र 62 वर्ष पेशा खेती नि0 ग्राम उपरवार तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0

2. योगेन्द्र कोल तनय छोटवा कोल उम्र 40 वर्ष सरपंच ग्राम पंचायत उपरवार तहसील व जनपद जवा जिला रीवा म0प्र0
गैर निगरानी कर्ता

श्री पी. के. तिवारी एड. द्वारा आज दि. 14-8-17 को प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रा0 निगरानी विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त डभौरा तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 के रा0 प्रक्र0 क्र0 – 29/अ–70/2016–017 आदेश दिनांक 22.06.2017 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के तहत

मान्वयर,

निगरानी कर्ता द्वारा निगरानी के आधार निम्न है–

1. यह कि निगरानी कर्ता के पिता राम सुफल तिवारी के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि ख0 नं0 178 रकवा 17.59 ए ग्राम उपरवार पट0ह0 कल्याणपुर तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 में स्थित है। जिसे निगरानी कर्ता के पिता द्वारा उसके दोनो भाइयों के मध्य आपसी बटवारा कर दिया गया। जिसमें भूमि ख0नं0 178/1/1 रकवा 1.760 हे. निगरानी कर्ता के पिता के नाम दर्ज हुआ। चूंकि निगरानी कर्ता के पिता काफी वृद्ध व अस्वस्थ रहते है। जिससे उक्त निगरानी राम सुफल तिवारी के पुत्र निगरानी कर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि गैर निगरानी कर्ता द्वारा निगरानी कर्ता को भी वतौर अनावेदक के तौर पर पक्षकार बनाया था। जिससे भी उक्त निगरानी विवादित भूमि से हितवद्ध होने से उसके द्वारा निगरानी कर्ता प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. यह कि भूमि ख0नं0 178 पर ही निगरानी कर्ता का पुराना पुस्तैनी मकान भी बना हैं। जिसमें निगरानी कर्ता एवं उसके पिता व भाई का भी परिवार निवास करता है। लेकिन गैर निगरानी कर्ता क्र0 1 द्वारा गैर निगरानी कर्ता क्र0 2 को आगे करके निगरानी कर्ता की उक्त भूमि को अवैध ढंग से अधिग्रहीत करने के लिए अपने निजी उपयोग के लिए एक पक्षीय कार्यवाही किया गया। जिसमें निगरानी कर्ता की भूमि ख0नं0 178 से रकवा 0.077 हे0 को रास्ते के लिए अधिग्रहीत किया गया। जिसे माननीय कलेक्टर महो0 जिला रीवा म0प्र0 द्वारा प्रक्र0 क्र0 30/अ–74/मूल/2015–016 दिनांक 30.06.2016 को गैर निगरानी कर्ता द्वारा किये गये आवेदन पत्र पर अधिग्रहण का आदेश किया गया। उसी के अनुसार नक्शे में भी लाल रंग से प्रदर्शित किया गया। जिससे निगरानी कर्ता द्वारा अपील निगरानी नही किया गया।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/भूरा/2017/2653

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
13 –9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित होकर उनके द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त डभौरा तहसील जवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 29/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 22.6.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 22.6.17 को नायब तहसीलदार द्वारा रास्ता खोलने का आदेश दिया गया है एवं प्रकरण साक्ष्य एवं सुनवाई के लिये नियत किया गया है। आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर अधीनस्थ न्यायालय में दिया जा रहा है । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 29/अ–70/2016–17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 22.6.17 दिया गया है वह उचित है। आवेदक को भी साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त है। अतः नायब तहसीलदार वृत्त डभौरा तहसील जवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 29/अ–70/2016–17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 22.6.17 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। सदस्य	